

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14()2017/उदयपुर रोडस/एफसीए/प्रमुखसं/

दिनांक

वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

जिला उदयपुर एवं वनमण्डल उदयपुर (साउथ) टेरिटोरियल में Diversion of 2.67 ha of forest land in favour of Public Works Department, Girwa, Udaipur for construction of BT road from Alsigarh to Nalfalla under PMGSY in Udaipur, Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/20389/2016) के निर्माण हेतु 2.67 है० वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज/06/26/2019/ एफसी/343 दिनांक 11.10.2019 द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 11-306/2014-एफसी दिनांक 28.08.2015 की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अध्याधीन प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

1. यह स्वीकृति, जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहरित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

ह०

(डॉ. डी.एन. पाण्डेय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 14()2017/उदयपुर रोडस/एफसीए/प्रमुखसं/

2972-82

दिनांक 25/10/21

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निर्देशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई-दिल्ली-110001
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ०प्र०)
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
5. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (IT), जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
6. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
7. उप वन संरक्षक, उदयपुर को दी जाकर निर्देशित है कि समय-समय पर निरीक्षण कर भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।
8. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड- गिर्वा द्वितीय, उदयपुर।
9. रक्षी पत्रावली।

(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर